आदेश फलक

(टेरी अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

ता .... से .... दर

प्र. .... सन् 200...

दाखिल खारिज वाद सं. 324/16-17

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
	2	3
22/7/16	श्री रूपन ठाकुर पिता श्री स्व० मकुन ठाकुर सा. अडजारा अंचल देवरी, जिला गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्योरे की जमीन के दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दिया गया है । आवेदित जमीन श्री खुबलाल ठाकुर, अ०मठाकुर, ~~पिता~~ श्री बद्री ठाकुर, दुर्गो ठाकुर व० सा. अडजारा अंचल देवरी के बजरिये केवाला नं. 2801 दिनांक 2/07/2010 द्वारा क्रय किया गया है ।	जाँच हेतु भेजा ।

ग्राम	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा
अडजारा	90	3	175	3 1/4 डी०
			178	3 डी०
			179	3 डी०
			176	3 1/4 डी०
1		4		12 1/2 डी०

पंजी 27 में दर्ज कर आप इश्तिहार निर्गत करें । हल्का राजस्व कर्मचारी आवेदन पत्र का स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन अं. नि. के माध्यम से उपस्थापित करें । अभिलेख दिनांक 16.8.16 को उपस्थापित करें ।

लेखापाल

अंचल अधिकारी

देवरी

अंचल अधिकारी

देवरी

16/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया । आम इश्तहार निर्गत किया गया । तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है । किसी ने कोई आपत्ति नहीं दिया है । ह. कर्म. / अं. नि. का जाँच प्रतिवेदन देखा । इन्होंने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन रैयती गै. खास / कायमी खाते की है । जिसकी जमाबन्दी पंजी ।। के पृष्ठ सं. 257/I पर दर्ज है एवं विक्रेता के नाम परदादा मालो ठाकुर एवं गोपी ठाकुर से कायम है । जमीन भूदान भूहदबंदी वन सीमा एवं सीलिंग से बाहर है । जमीन पर क्रेता का शांतिपूर्ण दखल है । आवेदित भूमि के नामांतरण हेतु अनुशंसा किया गया है ।

अतः ह. कर्म. एवं अं. नि. के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामांतरण क्रेता

श्री/श्रीमति सुपन ठाकुर

पिता/पति स्व० मकन ठाकुर ग्रा. अउवारी

के नाम से कोहल किया गया है ।

ग्राम/थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा	मद
अउवारी / 90	3	175	3 1/4 डी०	
		178	3 "	
		179	3 "	
		176	3 1/4 "	
			12 1/2 डी०	

संबंधित सहायक तद्नुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें ।

लेखापाल

अंचल अधिकारी
देवरी

अंचल अधिकारी
देवरी

शुद्धि पत्र निर्गत किया गया । हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दे ।

अंचल अधिकारी
देवरी